293/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा 293 /2021

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार पचपदरा

1.भैराराम मगनाराम हनीफाराम पि. खेताराम लाली
पत्नि खेताराम केसराराम पुत्र सोनाराम वगैराह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश **दिनांक :– 24.12.2021**

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। ग्राम **सारणो की बैरी** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो की ग्राम **कुम्पलिया सडक से खसरा नम्बर 927/206 के किनारे** तक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। **ग्राम सारणो की बैरी** के संलग्न परिशिष्ठ अ में प्रस्तावित परिवर्तन खतौनी के अनुसार भूमि उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल में किया गया है, उक्त कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की और सहमति पत्र व आधार कार्ड पर हस्ताक्षर कर पेश किये गये ।

तहसीलदार पचपदरा ने मजमें आम में जाच कर जाहिर किया गया कि रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर ग्राम को जोड़ने वाली सडक कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित खाता में खातेदार के नाम ही दर्ज होगी, इसमें किसी प्रकार की आमजन को असुविधा नहीं होगी, बल्कि रास्ता आमजन के लिए अधिक सुविधा जनक यह रास्ता होगा। चुकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है, उक्त की भूमि संबंधित खातेदार के नाम ही यथावत दर्ज रहेगी।

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा प्रभारी अधिकारी

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:40:07 IST
Reason: SelfAttested